राजस्व लोक अदालत केम्प आकडली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 89/2018 2018/01136

वादीगण :— 1 अमाराम पुत्र चुनाराम 2. भीखराम पुत्र लाभूराम, 3.खेताराम 4. हरचन्द पुत्र मिसरीया जाति गरूडा

बनाम

पतिवादीगण :— 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः—31.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली प्रस्तुत की गई है

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम महादेव नगर के खसरा न0 224 रकबा 160.16 बीघा मे वादीगणों की जाती मेघवाल दर्ज है जब के वादीगणों की असली जाति गरूडा है, इसी सम्बन्ध में वादीगणों द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया व खेताराम वादी संख्या—3 द्वारा अपना जाति प्रमाण प्रस्तुत किया जिसमें उनकी जाति गरूडा लिखी हुई है। अतः अशुद्व जाति मेघवाल की जगह शुद्व जाति गरूडा करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा ने वाद के साथके प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जाति प्रमाण उक्त आराजी की पु की जमाबंदी संवत 2019—22 तथा पटवारी आकडली/आर.आई साजियाली व उपतहसील द जासोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम ग्राम महादेव नगर के खसरा न0 224 रकबा 160.16 बीघा में वादीगणों की जाति जमाबंदी सवत 2019—22 मेघवाल (भांभी) दर्ज है एवं पटवारी आर.आई व उप तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादीगण की जाति मेघवाल से गरूडा दर्ज किया जाना उचित है।

अतः वादीगणों का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम महादेव नगर के खसरा न0 224 रकबा 160.16 बीघा में वादीगणों की जाति मेघवाल की जगह गरूडा दर्ज किया जाए।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...आकडली

Scanned by CamScanner